

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 02, शुक्रवार, शाके 1948- जुलाई 24, 2026 Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, फरवरी 09, 2026

संख्या प. 2 (4) वन/2026 :-चूँकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और निजि व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जाँच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम, (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा (29) की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय-4 के अनुबन्ध, पूर्वाक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतदपश्चात् रक्षित वन **Protected forest** कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जाँय,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वनखण्ड का नाम	ग्राम	खसरा न.	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
अलवर	रैणी	नांगल सन्ना	नांगल धन्ना	1	24.55	सीमा रेखा विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न है।
			किता	01	24.55	
			नांगल सन्ना	1	24.01	
				116	10.22	
			किता	02	34.23	
		नांगल सन्ना 'ए'	नांगल सन्ना	58	0.02	
				59	0.02	
			किता	02	0.04	
			महायोग			

मीरा कानूनगो,

वन बन्दोबस्त अधिकारी,

जयपुर।

राजस्थान सरकार

वन विभाग

परिशिष्ट (अ)

राजस्थान वन (बन्दोबस्त) नियम 1958 का नियम 9 (सी)

वनखण्ड: नांगल सन्ना

रेंज या विस्तार: राजगढ़

जिला: अलवर

क्र. सं	स्तम्भ संख्या से	स्तम्भ संख्या तक	दूरी जरीब व कड़ियों में		दिशा	आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार
			जरीब	कड़ियां		
नांगल धन्ना						
1	1	2	14	00	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
2	2	3	6	60	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
3	3	4	9	00	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
4	4	5	4	70	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
5	5	6	2	00	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
6	6	7	3	00	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
7	7	8	00	50	दक्षिण	सीधी रेखा
8	8	9	2	30	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
9	9	10	5	20	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
10	10	11	1	30	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
11	11	12	00	70	पूर्व	सीधी रेखा
12	12	13	2	80	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
नांगल सन्ना						
13	13	14	6	80	उत्तर- पश्चिम	सीधी रेखा
14	14	15	6	80	उत्तर- पश्चिम	सीधी रेखा
15	15	16	2	80	उत्तर- पश्चिम	सीधी रेखा
16	16	17	00	60	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
17	17	18	6	20	उत्तर- पश्चिम	सीधी रेखा
18	18	19	8	80	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
19	19	20	2	00	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
20	20	21	1	60	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
21	21	22	3	60	दक्षिण	सीधी रेखा
22	22	23	3	80	दक्षिण	सीधी रेखा
23	23	24	6	20	दक्षिण	सीधी रेखा
24	24	25	6	40	दक्षिण	सीधी रेखा
25	25	26	8	00	दक्षिण	सीधी रेखा
26	26	27	4	00	दक्षिण	सीधी रेखा
27	27	28	13	20	पश्चिम	सीधी रेखा

28	28	29	21	00	उत्तर	सीधी रेखा
29	29	30	22	00	उत्तर	सीधी रेखा
30	30	31	12	40	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
31	31	32	7	20	पूर्व	सीधी रेखा
32	32	33	4	40	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
33	33	34	6	20	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
नांगल धन्ना						
34	34	35	8	80	पूर्व	सीधी रेखा
35	35	36	5	60	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
36	36	1	14	60	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा

वनखण्ड: नांगल सन्ना ए

रेंज या विस्तार: राजगढ़

जिला: अलवर

नांगल सन्ना						
1	1	2	00	30	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
2	2	3	3	80	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
3	3	4	00	20	उत्तर- पश्चिम	सीधी रेखा
4	4	1	4	00	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा

नोट:

1. यह सर्वे कार्य 20 मीटर की जरीब से किया गया है जिसमें 100 कड़ियां होती हैं।
2. माप से अभिप्राय धरातल की सतह की माप से है।
3. दर्शाई गई माप नक्षे के अनुरूप है।

मीरा कानूनगो,
वन बन्दोबस्त अधिकारी,
जयपुर।

अधिकारों की संक्षिप्त सूची (1) वनखण्ड - नांगल सन्ना व नांगल सन्ना ए

रेंज-राजगढ़, तहसील- रैणी जिला-अलवर

(सुविधाएँ राज्य शासन द्वारा कमी भी वापस ली जा सकती हैं)

उन वन खण्डों की संख्या या नाम जिनके खुले भाग में ये	पट्टी का नाम	ग्राम जिसे अधिकार सुविधाएं प्राप्त हैं	घरों की संख्या	जन संख्या	परिवार की संख्या	हलों की संख्या	निःशुल्क चरने वाले स्वीकृत पशुओं की संख्या	मकानों के लिए लकड़ी के लट्ठे प्रतिवर्ष नग फुटों में
								निवास- गृह
								पशुशालाएं विविध लकड़ियां

अधिकार/ सुविधाएं उपयोग में आ सकते हैं।									
1	2	3	3ए	3बी	3सी	3डी	4	5ए	5बी
नांगल सन्ना व नांगल सन्ना ए	नांगल सन्ना व नांगल सन्ना ए	-	-	-	-	-	-	-	-

कृषि उपकरणों के लिए के लिए लकड़ी (प्रति वर्ष) क्युबिक फुट लट्ठों में	गिरी लकड़ी का ईंधन (प्रति वर्ष) सिरभारों में	लुहारों के लिए कोयला (प्रति वर्ष) सिरभारों में	विवि ध अधोव न	चारे का घास	चारे का घास बिक्री के लिए	घास छप्परों के लिए	बाब र	घास के लिए हरे पत्ते	पत्ते सुखे
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

फल और जड़ें	लताओं और बेलों की छाले	बांस (प्रति वर्ष कोडियों में)	भवन के लिए पत्थर	स्लेट	चूना पत्थर	सिंचाई जल- पथ	मीलों के लिए पानी	मछलियां पकड़ना	श म शा न घा ट	विवरण
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी:- वनखण्ड - नांगल सन्ना व नांगल सन्ना ए, में ग्रामवासियों को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं रहेगें।

मीरा कानूनगो,
वन बन्दोबस्त अधिकारी
जयपुर।

रियायतों की संक्षिप्त सूची (2) वनखण्ड - गांवड़ी

रेंज-राजगढ़, तहसील- रैणी जिला-अलवर

(सुविधाएँ राज्य शासन द्वारा कमी भी वापस ली जा सकती हैं)

उन वन खण्डों की संख्या या नाम जिनके खुले भाग में ये अधिकार/ सुविधाएं उपयोग में आ सकते हैं।	पट्टी का नाम	ग्राम जिसे अधिकार सुविधाएं प्राप्त हैं	घरों की संख्या	जन संख्या	परिवार की संख्या	हलों की संख्या	निःशुल्क चरने वाले स्वीकृत पशुओं की संख्या	मकानों के लिए लकड़ी के लट्ठे प्रतिवर्ष नग फुटों में	
								निवा स-गृह	पशुशालाएं विविध लकड़ियां
1	2	3	3ए	3बी	3सी	3डी	4	5ए	5बी
नांगल सन्ना व नांगल सन्ना ए	नांगल सन्ना व नांगल सन्ना ए	-	-	-	-	-	-	-	-

कृषि उपकरणों के लिए के लिए लकड़ी (प्रति वर्ष) क्युबिक फुट लट्ठों में	गिरी लकड़ी का ईंधन (प्रति वर्ष) सिरभारों में	लुहारों के लिए कोयला (प्रति वर्ष) सिरभारों में	विवि ध अधो वन	चारे का घास	चारे का घास बिक्री के लिए	घास छप्प रों के लिए	बाबर	घास के लिए हरे पत्ते	पत्ते सुखे
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

फल और जडे	लताओं और बेलों की छाले	बांस (प्रति वर्ष कोडियों में)	भवन के लिए पत्थर	स्लेट	चूना पत्थर	सिंचाई जल- पथ	मीलों के लिए पानी	मछलि यां पकडना	शमशा न घाट	विवरण
-----------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-------	---------------	---------------------	----------------------------	----------------------	------------------	-------

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी:- वनखण्ड-नांगल सन्ना व नांगल सन्ना ए, में ग्रामवासियों को कोई रियायत स्वीकार नहीं की गई है।

मीरा कानूनगो,
वन बन्दोबस्त अधिकारी,
जयपुर।

न्यायालय वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर
पीठासीन अधिकारी - मीरा कानूनगो

वाद क्रमांक- 04/2014

निर्णय दिनांक- 06.10.2025

वन विभाग बनाम ग्रामवासियान बगैरह ग्राम - नांगल सन्ना

तहसील - रैणी , जिला - अलवर।

विषय: जाँच हक हकूक ग्राम-सुनवाई रक्षित वनखण्ड नांगल सन्ना तहसील राजगढ़ हाल रैणी।

निर्णय

पत्रावली न्यायालय हाजा/कोर्ट केम्प राजगढ़ में पेश हुई। वनखण्ड नांगल सन्ना को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 के अन्तर्गत रक्षित वन क्षेत्र के गठन बाबत एक विज्ञप्ति संख्या एफ. 2 (8) वन/2002 जयपुर, जून 27, 2002 जो राजस्थान राजपत्र संख्या भाग 1 'ख' दिनांक जुलाई 1, 2002 में प्रकाशित हुई। नियमानुसार उक्त वनखण्ड से सम्बंधित ग्राम-नांगल धन्ना, तहसील राजगढ़ हाल रैणी जिला अलवर के आराजी हाल खसरा नम्बर 1 रकबा 24.01, 116 रकबा 10.22, 58 रकबा 0.02, 59 रकबा 0.02 कुल किता 04 रकबा 34.27 हेक्टेयर भूमि को रक्षित वन क्षेत्र में सम्मिलित रखने बाबत एक उद्घोषणा दिनांक- 28.08.2014 को जारी की जाकर संबंधित पक्षकारान से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तीन माह का अवसर दिया गया।

वन विभाग की ओर से क्षेत्रीय वन अधिकारी राजगढ़ श्री बबलुराम मीना उपस्थित हुये, उन्होंने अपने बयानों में जाहिर किया है कि वन खण्ड नांगल सन्ना के अन्तर्गत राजस्व ग्राम-नांगल सन्ना का खसरा नम्बर 1, 116, 58, 59 का कुल रकबा 34.27 हेक्टेयर सम्मिलित किया जा रहा है पर वन विभाग काबिज है जिसमें ग्रामवासियों को कोई हक-हकूक नहीं दिये जावे। पटवारी हल्का श्री कृष्ण कुमार मीना उपस्थित हुये उन्होंने ग्राम-नांगल सन्ना से संबंधित राजस्व अभिलेख के आधार पर बयान दर्ज कराये मुताबिक राजस्व अभिलेख आराजी हाल खसरा नम्बर नम्बर 1 रकबा 24.01, 116 रकबा 10.22, 58 रकबा 0.02, 59 रकबा 0.02 कुल किता 04 रकबा 34.27 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें ग्रामवासियों को कोई अधिकार एवं रियायते स्वीकार नहीं की जावे।

वनखण्ड नांगल सन्ना रैंज राजगढ़ को रक्षित वन क्षेत्र के गठन बाबत पक्षकारान् से निर्धारित समयावधि में आपतियाँ चाही गई थी, किन्तु किसी व्यक्ति अथवा संस्था ने किसी प्रकार की कोई आपति दर्ज नहीं कराई है एवं ना ही दौरान सुनवाई अपना पक्ष प्रस्तुत किया है इससे विदित होता है कि उक्त रक्षित वनखण्ड में शामिल किये जाने वाले ग्राम नांगल सन्ना के रकबे बाबत उन्हें किसी प्रकार की कोई आपति नहीं है।

अतः वनखण्ड पत्रावली, पक्षकारान् के बयानात, राजस्व अभिलेख यथा जमाबन्दी सम्बत् 2069-2072 के परीक्षण करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि ग्राम नांगल सन्ना तहसील राजगढ़, जिला अलवर के आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 24.55 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त सम्पूर्ण वन भूमि पर वन विभाग अविवादित रूप से काबिज है।

अतः उक्त ग्राम के आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 24.01, खसरा न0 116 रकबा 10.22 कुल किता 02 रकबा 34.23 हेक्टेयर वन भूमि को वनखण्ड नांगल सन्ना में सम्मिलित किया जाता है व खसरा न0 58 रकबा 0.02, खसरा न0 59 रकबा 0.02 कुल किता 02 रकबा 0.04 हेक्टेयर वन भूमि को वनखण्ड नांगल सन्ना 'ए' में सम्मिलित करते हुए राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 (3) के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति की सुनवाई पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अब मैं उक्त क्षेत्र को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (**Protected Forest**) क्षेत्र के रूप में गठन करने की अनुसंशा करती हूँ।

वनखण्ड नांगल सन्ना व नांगल सन्ना 'ए' रेन्ज राजगढ़, जिला अलवर में ग्रामवासियों को किसी प्रकार के (हक-हकुक) अधिकार/अनुदान/रियायतें स्वीकार नहीं की गई है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित, उप वन संरक्षक, अलवर को भिजवाई जावे।

मीरा कानूनगो,
वन बन्दोबस्त अधिकारी,
जयपुर।

न्यायालय वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर
पीठासीन अधिकारी - मीरा कानूनगो

वाद क्रमांक- 05/2014

निर्णय दिनांक- 06.10.2025

वन विभाग बनाम

ग्रामवासियान बगैरह ग्राम - नांगल धन्ना

तहसील - रैणी, जिला - अलवर।

विषय: जाँच हक हकूक ग्राम-सुनवाई रक्षित वनखण्ड नांगल सन्ना तहसील राजगढ़ हाल रैणी।

निर्णय

पत्रावली न्यायालय हाजा/कोर्ट केम्प राजगढ़ में पेश हुई। वनखण्ड नांगल सन्ना को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 के अन्तर्गत रक्षित वन क्षेत्र के गठन बाबत एक विज्ञप्ति संख्या एफ. 2 (8) वन/2002 जयपुर, जून 27, 2002 जो राजस्थान राजपत्र संख्या भाग 1 'ख' दिनांक जुलाई 1, 2002 में प्रकाशित हुई। नियमानुसार उक्त वनखण्ड से सम्बंधित ग्राम-नांगल सन्ना, तहसील राजगढ़ हाल रैणी जिला अलवर के आराजी हाल खसरा नम्बर 1 रकबा 24.55 हेक्टेयर भूमि को रक्षित वन क्षेत्र में सम्मिलित रखने बाबत एक उद्घोषणा दिनांक- 28.08.2014 को जारी की जाकर संबंधित पक्षकारान से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तीन माह का अवसर दिया गया।

वन विभाग की ओर से क्षेत्रीय वन अधिकारी राजगढ़ श्री बबलुराम मीना उपस्थित हुये, उन्होंने अपने बयानों में जाहिर किया है कि वन खण्ड नांगल सन्ना के अन्तर्गत राजस्व ग्राम-नांगल धन्ना का खसरा नम्बर 1 रकबा 24.55 हेक्टेयर सम्मिलित किया जा रहा है पर वन विभाग काबिज है

जिसमें ग्रामवासियों को कोई हक-हकुक नहीं दिये जावे। पटवारी हल्का श्री कृष्ण कुमार मीना उपस्थित हुये उन्होंने ग्राम-नांगल धन्ना से संबंधित राजस्व अभिलेख के आधार पर बयान दर्ज कराये मुताबिक राजस्व अभिलेख आराजी हाल खसरा नम्बर 1 रकबा 24.55 हेक्टेयर भूमि महकमा जंगलात के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें ग्रामवासियों को कोई अधिकार एवं रियायते स्वीकार नहीं की जावे।

वनखण्ड नांगल सन्ना रेंज राजगढ़ को रक्षित वन क्षेत्र के गठन बाबत पक्षकारान् से निर्धारित समयावधि में आपतियाँ चाही गई थी, किन्तु किसी व्यक्ति अथवा संस्था ने किसी प्रकार की कोई आपति दर्ज नहीं कराई है एवं ना ही दौरान सुनवाई अपना पक्ष प्रस्तुत किया है इससे विदित होता है कि उक्त रक्षित वनखण्ड में शामिल किये जाने वाले ग्राम नांगल धन्ना के रकबे बाबत उन्हें किसी प्रकार की कोई आपति नहीं है।

अतः वनखण्ड पत्रावली, पक्षकारान् के बयानात, राजस्व अभिलेख यथा जमाबन्दी सम्बत् 2074-2075 के परीक्षण करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि ग्राम नांगल धन्ना तहसील राजगढ़, जिला अलवर के आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 24.55 हेक्टेयर भूमि महकमा जंगलात के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त सम्पूर्ण वन भूमि पर वन विभाग अविवादित रूप से काबिज है।

अतः उक्त ग्राम के आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 24.55 हेक्टेयर वन भूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 (3) के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति की सुनवाई पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अब मैं उक्त क्षेत्र को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) क्षेत्र के रूप में गठन करने की अनुसंशा करती हूँ।

वनखण्ड नांगल सन्ना रेन्ज राजगढ़, जिला अलवर में ग्रामवासियों को किसी प्रकार के (हक-हकुक) अधिकार/अनुदान/रियायतें स्वीकार नहीं की गई है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित, उप वन संरक्षक, अलवर को भिजवाई जावे।

मीरा कानूनगो,
वन बन्दोबस्त अधिकारी,
जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।